राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1127 / 2013 / भीलवाड़ा

मैसर्स राजस्थान कर्मिशयल हाउस,
एफ.सी.आई. रोड़, भीलवाड़ा ....अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग,
प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा ....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री के.एल.जैन, सदस्य
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

श्री ओ.पी.दौसाया,
अभिभाषक ......अपीलार्थी की ओर से
श्री आर.के.अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक :– 02.08.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 10.04.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, भीलवाडा को यह आदेश दिया गया है कि वे व्यवहारी के द्वारा वर्ष 2005–06 के प्रस्तुत घोषणा पत्र फार्म ई–1 व सी को स्वीकार कर अन्र्तकर व ब्याज में कमी करें।

2. उभयपक्षीय बहस सुनी गई।

3. व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत अपील में यह आधार लिया गया है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में घोषणा पत्र स्वीकार करने हेतु प्रतिप्रेषित करने का जो निर्णय किया गया है वह गलत है क्योंकि अपीलीय अधिकारी को स्वयं को ही घोषणा पत्र स्वीकार करने चाहिये थे। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर घोषणा पत्र स्वीकार करने हेतु प्रकरण पुनः कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया था। अपीलार्थी की यह मांग पूर्णतया गलत मांग है कि अपीलीय अधिकारी घोषणा पत्रों की जांच कर स्वयं कर निर्धारण आदेश करें जबकि अपीलीय अधिकारी द्वारा विधि अनुकूल अपीलार्थी के पक्ष में आदेश किया गया है। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर एवं वर्ष 2015 तक भी प्रस्तुत घोषणा पत्रों को स्वीकार करने हेतु निर्देश दिये हुये है अतः कर निर्धारण अधिकारी राज्य सरकार के आदेश एवं उक्त अपीलीय आदेश की पालना में घोषणा पत्र स्वीकार कर मांग में कमी करें।

उक्तानुसार अपीलीय आदेश में कोई त्रुटि नहीं होने से इसकी पुष्टि की जाती है एवं कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे घोषणा पत्रों की जांच कर एवं वैध पाये जाने पर इन्हें स्वीकार कर सृजित मांग में कमी करें।

उक्त विवेचन एवं निर्देशों के साथ अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।

2/8/2017

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के.एल.जैन)
सदस्य